


उमेश कुमार बनाम नैनारम निगरानी संख्या 11/2017

16-4-18

पत्रकारान के वकील उपस्थित।

प्रकार में शर्ही के वकील ने शर्हीना पत्र कारान निगरानी निदो करने हेतु प्रस्तुत किया। जिसमें अशर्ही को निदो करने में कोई आपत्ति नहीं होने कारान शर्हीना पत्र में टंकित किया है।

अतः प्रकी निगरानी शर्हीना पत्र जारी निदोवल शर्हीना किया जा रहा है। प्रकार फलतः शुभार होकर नंबर से कर है।


जिला कलेक्टर, जालौर